F.No. 2(50)/86-DPE (WC) G L XXI /2010 Government of India

Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

Public Enterprises Bhawan Block 14, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003 Dated: / October, 2010.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-

Payment of DA to Board level/below Board level executives and non-unionized supervisors following IDA scales of pay in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) on 1987 and 1992 basis.

The undersigned is directed to refer to para No. 3 of this Department's O.M. No. 2(50)/86-DPE (WC) dated 19.7.95 wherein the rates of DA payable to the executives holding Board level post have been indicated. In accordance with the DA scheme spelt out in Annexure-II of the said O.M, the instalments of DA become payable from 1st January, 1st April, 1st July, 1st October, every year based on the price increase above quarterly Index average of 1099 (1960=100).

2. In continuation of this Department's O.M. No. 2(50)/86-DPE (WC) dated 02.08.2010, the rates of DA payable to the executives of CPSEs holding Board level post, below Board level post and non-unionised supervisors following IDA pattern of 1992 pay scales may be modified as follows:-

Date from Which payable	AICPI for the quarter	Increase over last quarter (points)	Pay range	Rate of DA per month	
01.10.2010	June 2010 3974 July 2010 4062 August2010 4062	138	Basic pay upto Rs. 3500/- p.m.	267 % of pay subject to minimum of Rs. 5868/-	
			Basic pay above Rs. 3500/- p.m. and upto Rs. 6500/-	200.2% of pay subject to a minimum of Rs. 9345/-	
	Average of the 4033 quarter		Basic pay above Rs.6500/- p.m. & upto Rs. 9500/-	160.2% of pay subject to a minimum of Rs. 13013/-	
			Basic pay above Rs.9500/- p.m.	133.5% of pay subject to a minimum of Rs.15219/-	
					PTO

(P.T.O.)

- 3. The payment on account of dearness allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
- 4. The quantum of IDA payable from 01.10.2010 at the old system of neutralization @ Rs. 2.00 per point shift for increase of 138 points may be Rs. 276/- and at AICPI 4033 DA payable may be Rs. 6655.75 to the executives holding Board level post, below Board level post and non-unionised supervisors following IDA pattern in the CPSEs of 1987 pay scales.
- 5. All administrative Ministries/Department of Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for action at their end.

(I... Michael) Under Secretary

To

All administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

- 1. The Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
- 2. Financial Advisers in the Administrative Ministries.
 - 3. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
 - 4. The Comptroller & Auditor General of India, 9 Dean Dayal Upadhayay Marg, New Delhi.
 - 5. NIC, DPE with the request to upload this OM on to the DPE website.

(J.J. Michael) Inder Secretary ****

लोक उद्योग भवन, ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003 दिनांक : 18 अक्तूबर, 2010

कार्यालय जापन

विषय :- सरकारी उद्यमों में वर्ष 1987 तथा वर्ष 1992 के आधार पर औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा उस स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.7.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-लोउवि (मजूरी कक्ष) के पैरा 3 का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है । अनुबन्ध-।। में वर्णित महंगाई भत्ता योजना के अनुसार त्रैमासिक औसत सूचकांक 1099(1960=100) से अधिक मूल्यवृद्धि के आधार पर महंगाई भत्ते की किश्तें प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्तूबर को देय हो जाती हैं ।

2. इस विभाग के दिनांक 02.08.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-लोउवि(मजूरी कक्ष) के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1992 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की राशि इस प्रकार होगी :-

जिस तारीख से देय है	तिमाही का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	新聞 報	पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि (अंक)	वेतन सीमा	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01.10.2010	जून, 2010 जुलाई, 2010 अगस्त, 2010	3974 4062 4062	138	मूल वेतन प्रतिमाह 3500/- रुपए तक	वेतन का 267% परन्तु न्यूनतम 5868/- रुपए
	(14) 19 了新用。			मूल वेतन प्रतिमाह 3500/- रुपए से अधिक तथा 6500/- रुपए तक	वेतन का 200.2% परन्तु न्यूनतम 9345/-रुपए प्रति माह तक
	तिमाही का औसत	4033		मूल वेतन प्रतिमाह 6500/-रुपए से अधिक तथा 9500/- रुपए प्रति माह तक	वेतन का 160.2% परन्तु न्यूनतम 13013/- रुपए
				मूल वेतन \$500/- रुपए प्रति माह से अधिक	वेतन का 133.5% परन्तु न्यूनतम 15219/- रुपए

- 3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए ।
- 4. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1987 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा इस स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.10.2010 से देय औद्योगिक मंहगाई भन्ने की राशि निष्प्रभावन की पुरानी प्रणाली के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की वृद्धि की दर से 138 अंकों की वृद्धि के लिए 276/- रुपए तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4033 पर 6655.75 रुपए होगी।
- 5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाने का अनुरोध किया जाता है ।

(पी. जे. माईकल) अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग । प्रतिलिपि प्रेषित :-

- 1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
- 2. प्रशासनिक मंत्रालयों के वितीय सलाहकार ।
- 3. व्यय विभाग स्था.-।। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
- 4. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
- 5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए ।

(पी. जे. भाईकल) अवर सचिव, भारत सरकार